न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—162/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00162)

1. श्री लादू पुत्र स्व0 श्री कल्याण (मृतक)जरिए वारिसान—
   1/1 श्रीमती चन्ता पुत्री स्व0 श्री लादू
   1/2 महावीर पुत्र स्व0 श्री लादू
   1/3 सुखपाल पुत्र स्व0 श्री लादू
   1/4 काली पुत्री स्व0 श्री लादू
2. श्री हेमराज पुत्र स्व0 श्री कल्याण
3. मु0छाऊ देवी पत्नि स्व0 श्री उगमा
4. श्री घीसू पुत्र स्व0 श्री उगमा
5. श्री रामधन पुत्र स्व0 श्रीकिशन
6. यशोदा पुत्री स्व0 श्रीकिशन
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डोलाई, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री भागचंद पुत्र श्री गोदू
2. श्री श्योनाथ पुत्र श्री गोदू
3. श्री घीसू पुत्र उगमा
4. श्री रामलाल पुत्र हजारी
5. श्री नारायण पुत्र श्री हजारी
6. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री हजारी
7. श्रीमती नाथी पत्नि श्री हजारी
   समस्त जाति चमार, निवासी ग्राम गुढाकलां, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
8. श्री गजराज पुत्र श्री मांगू
9. श्रीमती विमला पत्नि छोटू
10. श्री धर्मवीर पुत्र श्री छोटू नाबा, जरिए संरक्षक माता श्रीमती विमला पत्नि छोटू
    समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम गुढाकलां, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
11. श्री रामचंद्र पुत्र श्री भूरा
12. श्री सूरजकरण पुत्र श्री भूरा
    समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम गुढाकलां, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
13. श्री मिश्री पुत्र श्री सुखदेव
14. श्रीमती गलकू पत्नि श्री सुखदेव
15. श्री गोकुल पुत्र श्री हरदेव
16. श्री रामकरण पुत्र श्री कल्याण
17. श्री श्योजी पुत्र श्री कल्याण
    समस्त जाति चमार, निवासी ग्राम गुढाकलां, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
18. श्री श्रवण पुत्र श्री लादू
19. श्री भादू श्री धन्ना
20. श्री कृष्णगोपाल पुत्र श्री धन्ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

21. श्रीमती पुत्र श्री धन्ना
22. श्रीमती राजी पत्नि श्री मदन
23. श्री नाथू पुत्र श्री मदन
24. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री मदन
25. श्रीमती न्याली पत्नि श्री रामचंद्र
26. श्री भागचंद पुत्र श्री रामचंद्र
27. श्रीमती कंचन पत्नि श्री सुवा
28. श्री गोपाल पुत्र श्री सुवा
    समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम –पाण्डोलाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
29. श्री कालू पुत्र श्री बिरदा
    समस्त जाति चमार निवासी ग्राम गुढाकलां, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
30. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 राजस्व वाद संख्या 14/2013.

उपस्थितः–
1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री छीतरमल टेपण, समीर अहमद अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 11 से 17
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 30
4. रेस्पोडेंट संख्या 8 से 10, 18 से 28 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–05.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष पेश कर निवेदन किया। वादीगण/अपीलांट के उक्त कथनों के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने राजस्व वाद को दर्ज किया गया, प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया जो दौराने वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प में बिना किसी आवेदन एवं आपत्ति के प्रार्थना पत्र के बिना वादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रकरण में तत्पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही अपनाए बिना प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस को अवांछित आलान्वित करने की गरज से वादीगण के वाद को उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 को खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

5.2.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 8 से 10, 18 से 28 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद पत्र में अंकित कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 21 आराजी खसरा संख्या 380/1 रकबा 6–9–10 खसरा संख्या 380/2 रकबा 1–00–00 कुल किता 2 कुल रकबा 7–9–10 आराजी ग्राम गुढाकलां, तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जो उपरोक्त वर्णित आराजी जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में तत्कालीन खातेदार श्री किशन वल्द रूपा कौम चमार, साकिन देह के नाम खातेदार अंकित चली आ रही है, तत्कालीन खातेदार श्री किशना वल्द रूपा ने जरिए विकय पत्र दिनांक 17.4.1968 जिसका पंजीयन 17.5.1968 को वादीगण/अपीलांट के पूर्वज श्री कल्याण श्री किशना श्री उगमा को बैचान कर दी गई तब से उपरोक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज कास्त वादीगण चले आ रहे है, उक्त साबिक आराजी के भू संशोधन नवीन नम्बर खसरा नम्बर 521 रकबा 00–02–00 खसरा संख्या 522 रकबा 05–10–10 खसरा संख्या 523 रकबा 01–17–00 कुल किता 3 कुल रकबा 07–09–10 बने है, जो प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 के नाम गैर कानूनी रूप से नाम इंद्राज दर्ज है उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख इंद्राज दर्ज नहीं हो पाया जो वादीगण को अपने निहित हिस्से खातेदार घोषित कर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में इंद्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे उक्त वाद को न्यायालय के द्वारा उक्त बिना प्रार्थना पत्र एवं वाद के अनुतोष एवं प्रकरण की वास्तविक स्थिति को मध्य नजर रखे ही प्रकरण में लिप्त आराजी बाबत वाद खारिज किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने विधिवत रूप राजस्व दस्तावेज का अवलोकन किए ही निर्णय एवं डिकी पारित की गई है। उक्त आराजी पर वादीगण के पूर्वज कब्जा काश्त चला आ रहा है, स्वयं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज विधिवत दिनांक 17.5.1968 जरिए पंजीकृत विकय पत्र द्वारा बैचान की गई जबकि राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 का कानून अजमेर में 1958 लागू हुआ जो विधिनुसार है राज0 सरकार जयपुर के परिपत्र संख्या एफ 7(31) आरईवी/जी4/75 दिनांक 30.10.76 के अनुसार उक्त आराजी का बैचान विधिवत माना है, जो स्वयं उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपने निर्णय दिनांक 18.4.1977 बउनवानी सरकार बनाम गोदू जो इसी आराजी बाबत प्रकरण संख्या 274/76 से स्वयं सिद्ध है जो न्यायालय ने धारा 42 बी राज0 काश्त0 अधि0 के बाबत बिना किसी आधार क विवेचन किए न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय में मन मकसूद आक्षेपित आदेश में यह माना गया कि जो आक्षेपित आदेश पारित करते वक्त न्यायालय द्वारा यह व्यक्त नहीं किया गया कि किस तरह धारा 42 बी से प्रभावित है जिसका बिना विश्लेषण किए उक्त बिंदु के आधार बनाकर बिना बताए कौन कौन से आधार सदभाविक संतोषजनक किस प्रकार से है, उनके द्वारा तो अति संक्षिप्त तौर पर आक्षेपित आदेश केवल मात्र कयास भावनात्मक आधारों पर पारित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपूर्ण पत्रावली पर प्रश्नाधीन आदेश पारित करने पूर्व पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना जल्दबाजी में न्यायिक प्रकिया के प्रतिकूल प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जो आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपने नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश से अस्वीकार फरमाया है एवं उनके द्वारा उक्त आदेश पारित करने के संबंध में कोई संतोषजनक कारण व निषकर्षाकन भी उक्त आदेश में अंकित नहीं किए गए है आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को अस्वीकार करने का कोई सकारात्मक व विधिसम्मत कारण आक्षेपित आदेश में अंकित नहीं किया है एवं बहुत की संक्षिप्त आदेश के द्वारा रूटिन प्रकिया के तहत न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना वाद पत्र अस्वीकार करने का आदेश पारित किया है, किसी भी प्रकरण को इस प्रकार न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना एवं स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्तिसंगत कारण अंकित किए बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रकिया नहीं है, विचारण न्यायालय को चाहिए कि वे प्रकरण को निस्तारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

करते समय इस पर विश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए व स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुए वाद का निस्तारण करते इस संबंध में मण्डल द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2016 आरआरटी (2) पेज 1147 महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित व तर्क सहित होना चाहिए अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्णय/आदेश स्पीकिंग होने चाहिए साथ ही विधि द्वारा सुस्थापित स्थिति है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जा0दी0 के आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्माण पारित करना आज्ञापक। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण ने कभी भी किसी को बेचान नहीं की है न ही प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा वादीगण के पूर्वज कल्याण उगमा व किसना को कभी भी जमीन बेचान की गई हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की उक्त वाद वर्णित पुस्तैनी आराजीयात को हडपने की नियत से झूठा गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जो कि स्वतः ही खारिज होने योग्य है। उक्त आराजीयात पर पूर्व में प्रतिवादीगण का पुस्तैनी रूप से खुद कब्जा काश्त लगातार अनवरत जारी है। वादीगण का उक्त आराजीयात से किसी भी प्रकार से संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण तक का उक्त भूमि कब्जा काश्त स्वामित्व में चली आ रही है व राजस्व रिकार्ड में उसी कब्जे कि नियत अब बद हो गई है इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त पुश्तैनी आराजीयात को हडपने की नियत से यह झूठा गलत मनगढंत तथ्यों पर उक्त वाद पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा या उसके पूर्वजों द्वारा कभी भी उनकी पुश्तैनी भूमि को बेचान नहीं की गई न ही किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल प्राप्त किया तथा उक्त आराजीयात से वादीगण का कोई संबंध वास्ता व सरोकार नहीं है तथा कब्जा काश्त भी पुश्तैनी समय से प्रतिवादी का लगातार अनवरत बिना किसी भी बाधा के चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी मौके पर कब्जा प्रतिवादीगण का ही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. सर्वप्रथम अपील को मियाद बिंदु के संदर्भ में देखा गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.6.2018 का है अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 30.4.2019 को प्रस्तुत करना पाया जाता हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 5.7.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा उसे दिनांक 24.4.2019 को नकल प्राप्त हुई। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. दिनांक 14.7.2022 को प्रार्थी अपीलांटगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट लादू पुत्र कल्याण का देहांत दिनांक 21.9.2020 को हो चुका है जिसके विधिक वारिसान निम्नानुसार है– श्रीमती चंता पत्नि स्व0 श्री लादू, महावीर पुत्र स्व0 श्री लादू, सुखपाल पुत्र स्व0 श्री लादू, काली पुत्री स्व0 श्री लादू को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.8.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व अपीलांट श्री लादू पुत्र स्व0 श्री कल्याण (मृतक) के वारिसान को उसके स्थान पर रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित उनवान पेश करने का आदेश दिया गया। तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 29.8.2022 को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया जिसे पत्रावली पर शामिल कियां गया।

8. बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमि ग्राम गुढाकलां तहसील भिनाय में स्थित है खाता नम्बर 21 है खसरा नम्बर 380/1 होकर रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 380/2 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7–9–10 है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा दिनांक 30.3.2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

को वादपत्र धारा 88, 188, 209 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया था विवादित भूमि जमाबंदी संवत 2022–2025 विवादित भूमि किशना वल्द रूपा के नाम दर्ज थी। जिसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.5.1968 से हमारे पूर्वज कल्याण, किष्णा, उगमा द्वारा कय की गई थी मगर जाति जाट होने से हमारे पक्ष में नामांतरकराण धारा 42बी के प्रावधानों की वजह से नहीं खुला जबकि कब्जा हमारा है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही श्योमोटो की गई है कानूनन प्रकिया का पालन नहीं किया गया है जवाब बंद नहीं किया गया है। तनकी नहीं बनाई गई दस्तावेज एग्जिबिट नहीं किए गए केम्प कोर्ट के नोटिस इस्यू नहीं किए गए उपखण्ड अधिकारी का आदेश नॉन स्पीकिंग है। जिसके द्वारा उनके न्यायिक दृष्टांत 2016 आरआरटी वो01 पेज 176 तथा कहा कि विधिक प्रकिया का पालन आवश्यक है।

9. वकील रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि विवादित जमीन का कभी बैचान नही किया विकय पत्र फर्जी दस्तावेज है जमाबंदी और गिरदावरी हमारे नाम है। भूमि हमारे नाम है अधीनस्थ न्यायालय में समयसीमा के बाद 45 वर्ष बाद दावा पेश किया गया था। 175 आरटी एक्ट की कार्यवाही हेतु अवधि अभी 30 वर्ष है जो पहले 12 वर्ष थी उससे पहले 5 वर्ष थी हम भूमिहिन है और 12 बीघा से कम भूमि हमारे पास है। कब्जा हमारा है दिनांक 1.5.1964 के बाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष किए गए हस्तानांतरण को अवैध माना गया है।

10. रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि बैचानकर्ता इनके पूर्वज थे ये नहीं। सेल डीड को चुनौती नहीं दी गई है। कोई एफएसएल या धारा 420 के तहत कोई कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की गई है राज्य सरकार के पक्ष एसडीओं ने निर्णय किया है 175 का अनुतोष नहीं चाहा गया है। घोषणा के वाद हेतु मियाद अवधि नहीं है। अजमेर मे धारा 42बी 1964 में लागू नहीं हुई है अपितु 1968 में लागू हुई हैं।

11. अधीनस्थ न्यायालय में तामील की स्थिति को देखा गया राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट ग्राम बुढाखुर्द प्रकरण संख्या 14/2013 पेशी दिनांक 26.6.2018 बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों का अवलोकन किया गया। नाथी पत्नि हजारी का नोटिस उसके देवर कालू द्वारा रामस्वरूप पुत्र हजारी का नोटिस उसके भाई कालू द्वारा नारायण पुत्र हजारी का नोटिस भाई कालू द्वारा रामलाल पुत्र हजारी का नोटिस भाई कालू के द्वारा घीसा पुत्र उगमा श्योनाथ पुत्र गोदू भागचंद पुत्र गोदू यशोदा पुत्री किशन जाट का प्रहलाद वार्ड मेम्बर 13 द्वारा, रामधन पुत्र किशन जाट का प्रहलाद वार्ड मेंम्बर द्वारा, मिश्री पुत्र सुखदेव का प्रहलाद भांजे द्वारा गलकू पत्नी सुखदेव का प्रहलाद भांजे द्वारा श्योजी पुत्र कल्याण का प्रहलाद भांजे द्वारा रामकरण पुत्र कल्याण का भांजे द्वारा सूरजकरण पुत्र भूरा का रामचंद्र भाई के द्वारा, रामचंद्र का स्वयं रामचंद्र द्वारा गजराज पुत्र मांगू का स्वयं गजराज के द्वारा छोटू पुत्र मांगू का भाई गजराज के द्वारा छाउ बेवा उगमा का वार्ड मेंम्बर प्रहलाद के द्वारा हेमराज पुत्र कल्याण का प्रहलाद वार्ड मेम्बर के द्वारा लादू पिता कल्याण का वार्ड मेम्बर प्रहलाद के द्वारा घीसू पिता उगमा का वार्ड मेम्बर प्रहलाद के द्वारा, लिया जाना बताया गया है। स्पष्ट है कि तामील व्यक्तिगत तौर पर नहीं की गई है व एक या दो लोंगो के द्वारा ही तामील करवाया जाना दृष्टिगोचर हो रहा है जो नियमों के विपरीत है। तामील सम्यक रूप से नहीं करवाई गई।

12. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.6.2018 निम्नानुसार है– पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। उभयपक्षकारान अनु0 पैरोकार सरकार उप0 पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र पेश कर कथन किय कि वादी द्वारा पंजीयन दस्तावेज दिनांक 17.5.1968 के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात पर स्वामित्व निर्धारण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। पंजीबद्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर दस्तावेज निष्पादन में धारा 42 राज0का0अधि0 का उल्लंघन होना पाया जाता है चूंकि पंजीयन दस्तावेज बैरवा अनुसूचित जाति की भूमि का विकय जाट अ0पि0व0 को किया गया है जो स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा धारा 42

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

का उल्लंघन किया है अतः विवादित आराजी सिवायचक दर्ज किए जाने योग्य है। धारा 42 ख से स्पष्ट प्रावधानानुसार दिनांक 1.5.1964 के पश्चात अनुसूचित जाति के सदस्त की भूमि का गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया अंतरण प्रारम्भंत शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः वाद पत्र खारिज किया जाके पत्रावली केम्प कोर्ट में ली जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाते हुए तहसील भिनाय को निर्देश जारी करती है किप्रकरण में राजहित निहित है । अतः नियमानुसार विधिवत धारा 175 एलआरए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। वर्तमान में प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम दर्ज होकर दाखिल दफतर हो।

13. उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में पृथक से कोई आदेश नहीं लिखवाया गया है ना ही कोई डिकी पृथक से जारी की गई है मात्र प्रोसिडिंग पर ही निर्णय का अंकन किया गया है। इसे ही निर्णय माना जाएगा।

14. उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र एवं जवाब के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। 2005(2)आरआरटी 784, कम्पूरी एवं अन्य बनाम बाबू एवं अन्य में दिए गए न्यायिक दृष्टांत के अनुसार (प्रकरण में ज़वाबदावा भी प्रस्तुत कर दिया गया फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किए निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत हैं।) ना ही कोई साक्ष्य ली गई है जोकि सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार न्यायालय हर एक विवाधक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा तथा निर्णय के बाद आदेश 20 नियम 6 के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी। उपरोक्त दोनों ही मूल निर्देशों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं रखा गया है साथ ही जो अनुतोष चाहा ही नहीं गया उस बाबत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर दिया गया है। जिसके तहत वादग्रस्त भूमि को सिवायचक करने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिए गए है। जो नियमों के विरूद्ध हैं।

15. चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता।

16. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत केम्प कोर्ट दिनांक 26.6.2018 को ग्राम बुढाखुर्द हेतु पक्षकारों की बुलाए जाने हेतु सम्यक रूप से तामील नहीं करवाई गई है।

17. न्यायालय वकील अपीलांट द्वारा दिए गए न्यायिक दृष्टांतों से पूरी तरह से सहमत है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता।

18. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 14/2013 बउनवानी कल्याण बनाम भागचंद व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 को खारिज किया जाता है। प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनकर उक्त प्रकरण में तनकी बनाई जा कर साक्ष्य लिए जाकर तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

5.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

5.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर